न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 90/2018 राजस्व अपील

1. रामेश्वर पुत्र हरगोविन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 17.07.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर प्रकरण संख्या 998/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 01.07.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2075 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय की आराजी भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को दिनांक 17.07.2018 को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर पेनल्टी कायम करने के साथ ही अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17.07.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा का यह निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है एवं पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट की गैरमौजूदगी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.07.2018 को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2075 खरीफ में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 88 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 17.07.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2074 रबी में भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रश्नगत आराजी राजकीय चरागाह भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 17.07.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 90/2018 उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official